राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4447/2024

बंशी लाल पुत्र श्री जोराराम, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी 59, भाकरी विश्नोइयों की ढाणियाँ, रसीदा, काकेलाव, झालामंड, जिला जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से ---- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:श्री रमेश कुमार

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मुख्त्यार खान, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

12/07/2024

1. याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन विवेक विहार, जिला जोधपुर सिटी वेस्ट में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 73/2024 दिनांक 13.04.2024 को रद्द करने की मांग की है।

2. एफआईआर के अनुसार, 13.04.2024 को पुलिस को ईमेल के माध्यम से सूचना मिली और उसके अनुसार मुख्य उपनिरीक्षक ने रोजनामचा में दर्ज किया कि मोगड़ा में शाम की गश्त के दौरान उन्होंने एक वाहन बैरिकेड लगाया। उन्होंने रात करीब साढ़े आठ बजे जोधपुर की ओर से आ रही आरजे-19-जीजी 7201 रजिस्ट्रेशन नंबर की बोलेरो कैंपर को रोका। चालक ने खुद को प्रमोद बताया। उसके पास वाहन के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस था। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में पेट्रोल जैसा 200-200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ दो बड़ी नीली प्लास्टिक की बोतलें मिलीं। पेट्रोल और परिवहन के बारे में पूछे जाने पर, प्रमोद ने कहा कि उसके पिता बंसीलाल ने इसे खरीदा था और बलेरो कैंपर में उसके पास छोड़ दिया था।

2.1 इसके बाद, बंसीलाल (याचिकाकर्ता) घटनास्थल पर पहुंचे और बोलेरो कैंपर के स्वामित्व का दावा किया, वाहन के पिछले डिब्बे में पेट्रोल जैसे पदार्थ वाली प्लास्टिक की बोतलों की मौजूदगी को स्वीकार किया। पुलिस अधिकारी ने सामान जब्त कर लिया और बाद में एफआईआर दर्ज की। इसलिए, विविध याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने आरोपी याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शुरू में ही एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1361/2014 और अन्य; करमजीत सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। राजस्थान राज्य ने 02.02.2016 को निर्णय लिया। जिसका प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> "ये आदेश और साथ ही राज्य सरकार का 1990 का नियंत्रण आदेश सभी ई.सी. अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए गए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण आदेशों का

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण आदेश पर अधिक प्रभाव होगा क्योंकि वे सभी एक ही विषय को कवर करते हैं। वे नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 10.04.2006 की अधिसूचना पर भरोसा करते हैं जिसके तहत अतिरिक्त डीएसओ के पद से नीचे के अधिकारियों को उक्त नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। वे आगे तर्क देते हैं कि 1999 के नियंत्रण आदेश के तहत एक समय में एक व्यक्ति को 2500 लीटर तक पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री की अनुमति है।"

5. अभियोजन पक्ष का यह मामला स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को 400 लीटर पेट्रोल के साथ पकड़ा गया था, इसलिए उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के साथ धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, उपरोक्त निर्णय को पढ़ने पर, इसका अनुपात कुछ और ही संकेत देता है। इतना ही नहीं, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 10.04.2006 को अधिसूचना भी जारी की है, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में उल्लेख किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा 2500 लीटर पेट्रोल परिवहन की अनुमति दी गई है।

6. न्यायालय के प्रश्न पर, विद्वान लोक अभियोजक ने उपर्युक्त अधिसूचना या उक्त निर्णय में दिए गए अनुपात पर कोई विवाद नहीं किया। उपरोक्त निर्णय अंतिम हो गया है, क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई।

7. इस आधार पर, याचिका को अनुमति दी जाती है और संबंधित एफआईआर को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है।

8. एफआईआर को रद्द करने के मद्देनजर, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में वाहन को रिलीज करने का हकदार है। तत्काल आदेश की प्रति

के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने पर, आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए।

9. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।